भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के संगठन की विशिष्ठियां, कृत्य तथा कर्त्तव्य

(The particulars of its organisation, functions and duties)

हिमालय क्षेत्र भूवैज्ञानीय दृष्टिकोण से अत्यन्त जटिल भू–संरचनात्मक क्षेत्र है। क्षेत्र की भूसंरचना इतनी जटिल है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न शोध संस्थाओं के भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र के अध्ययन हेतु कार्यरत हैं। प्रत्येक राज्य में खनिजों की उपलब्धता एवं भण्डार के आंकलन के विस्तृत अध्ययन एवं खनिज विकास तथा विनियमन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का गठन किया गया है।

हिमालय क्षेत्र की जटिल भूगर्भीय संरचना तथा भूमि के गर्भ में होने वाले प्लेट विवर्तनिक संक्रियाओं के सक्रिय होने से क्षेत्र में भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूमि धंसाव जैसे विनाशकारी घटनाएं प्रायः घटित होती रहती हैं जिनके विस्तृत अध्ययन से जन एवं धन की हानि को कमतर किया जा सकता है। उपरोक्त समस्या के निवारण हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा विशिष्ट भू–अभियांत्रिकीय का कार्य सम्पन्न किये जाने का अतिरिक्त दायित्व का निर्वाहन भी किया जाता है।

हिमालयी क्षेत्र में खनिज भण्डारों की अपार सम्भावनाओं के भी प्रमाण मिलते हैं जिनको चिन्हित कर विदोहन कराकर राजस्व प्राप्ति करने के उपरान्त प्रदेश को स्वावलम्भी बनाने में योगदान प्रदान किया जा सकता है। प्रदेश में उप खनिजों यथा बोल्डर, बजरी, बालू इत्यादि के अपार भण्डार हैं जिनके वैज्ञानिक विदोहन से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की विशिष्ट महत्ता है।

उत्तराखण्ड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून की भूमिका राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का अन्वेषण करना, उसका मूल्याँकन करना तथा वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये है जिससे राज्य के विकास के साथ–साथ राजस्व की प्राप्ति भी होती है। उत्तरांचल राज्य में विभाग द्वारा खोजे/आँकलन किये गये खनिज सम्पदा के भण्डारों एवं नये खोजे जा रहे खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विदोहन किया जाये तो राज्य का राजस्व प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है। क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अतएव भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

विभाग राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिये उपरोक्तानुसार राजस्व वृद्धि एवं निर्माण कार्यों में योगदान देने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

विभाग के कार्यों का दायित्व

- खनिज अन्वेषण कार्य
- खनन प्रशासन
- भूअभियांत्रिकीय कार्य

खनिज अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक विश्लेषण, पेट्रोलोजिकल विश्लेषण आदि कराया जाता है तथा क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य कर मानचित्र तैयार किये जाते हैं तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। उपरोक्त समस्त अध्ययनों तथा परीक्षणों में आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के भाग–2 में दी गयी राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या–23 में संघ सूची में दिये गये संघ के अधिकारों के नियंत्रण में खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त हैं। चूंकि खनिज, भूमि की सतह अथवा भूगर्भ में होते हैं और भूमि के सतही अधिकार राज्य सरकारों में निहित होते हैं इस कारण खनिजों पर रायल्टी प्राप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों को निरपेक्ष रूप से प्राप्त है। खानों के विनियमन और खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957' के प्राविधानों के अन्तर्गत, खनिजों के परिहार प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं तथा

निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर, स्वामित्व के रूप मे प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।

खनिज सेक्टर से सम्बन्धित समस्त कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा किये जाते हैं जिसमें सभी खनिजों के खनिज परिहार को स्वीकृत किये जाने से पूर्व विभाग से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जाता है तथा चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले उप खनिजों की खनन योजना का अनुमोदन भी प्रदान किया जाता है।

भू–अभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है। क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है अतएव भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

विभागीय संरचनात्मक ढांचाः–

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, की स्थापना शासनादेश संख्या 2584/औ0वि0/147–ख/2001 दिनांक 03 दिसम्बर, 2001 के माध्यम से की गईः

संख्या : 2584/औ0वि0/147-ख/2001

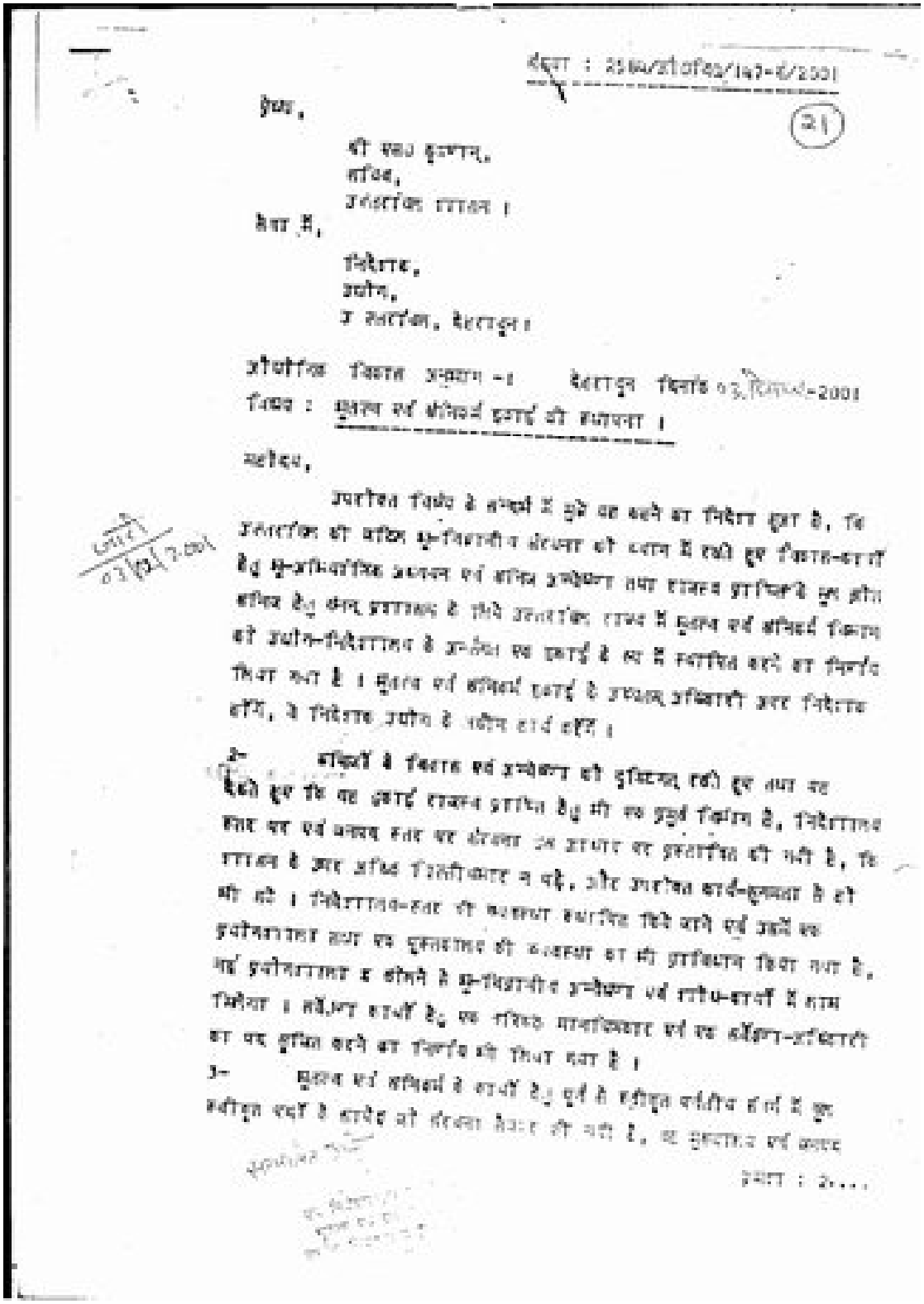

(21)

प्रेषक,

श्री [illegible] कृष्णन्,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 03 दिसम्बर-2001

विषय : भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की स्थापना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तरांचल की जटिल भू-विज्ञानीय संरचना को ध्यान में रखते हुए विकास-कार्यों हेतु भू-अभियांत्रिक अध्ययन एवं खनिज अन्वेषण तथा राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत खनिज हेतु समग्र प्रशासन के लिये उत्तरांचल राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को उद्योग-निदेशालय के अन्तर्गत एक इकाई के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रधान अधिकारी अपर निदेशक होंगे, जो निदेशक उद्योग के अधीन कार्य करेंगे।

2- खनिजों के विकास एवं अन्वेषण को दृष्टिगत रखते हुए तथा यह देखते हुए कि यह इकाई राजस्व प्राप्ति हेतु भी एक प्रमुख विभाग है, निदेशालय स्तर पर एवं जनपद स्तर पर संरचना इस आधार पर प्रस्तावित की गयी है, कि शासन के ऊपर अधिक जिम्मेदारी न पड़े, और अपेक्षित कार्य-कुशलता भी हो सके। निदेशालय-स्तर की व्यवस्था स्थापित किये जाने एवं उसमें एक प्रयोगशाला तथा एक पुस्तकालय की व्यवस्था का भी प्राविधान किया गया है, नई प्रयोगशाला के खोलने से भू-विज्ञानीय अन्वेषण एवं शोध-कार्यों में लाभ मिलेगा। सर्वेक्षण कार्यों हेतु एक वरिष्ठ मानचित्रकार एवं एक [illegible]-अधिकारी का पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है।

3- भूतत्व एवं खनिकर्म के कार्यों हेतु पूर्व से स्वीकृत वर्तमान शर्तों के तहत स्वीकृत पदों के सापेक्ष जो संरचना तैयार की गयी है, वह मुख्यालय एवं जनपद

क्रमशः : 2....

स्तर पर निम्नानुसार होगी :-

(22)

(3) मुख्यालय-स्तर

पदनाम	स्वीकृत-पद	वेतनमान
अपर निदेशक	01	14000-18400
संयुक्त निदेशक	01	12000-16500
उपनिदेशक/भू-वैज्ञानिक	02	10000-15200
ज्येष्ठ खान अधिकारी	01	10000-15200
रसायनज्ञ	01	10000-15200
सह यक भू-वैज्ञानिक	02	8000-13500
सहायक रसायनज्ञ	02	8000-13500
सहायक भू-भौतिकविद्	01	8000-13500
सहायक भू-रसायनज्ञ	01	8000-13500
सर्वेक्षण अधिकारी	01	6500-10500
प्राविधिक सहायक भू-विज्ञान	02	5000-8000
प्राविधिक सहायक	01	5000-8000
फोटो-जियोलोजी	02	5000-8000
प्राविधिक सहायक रसायनज्ञ	01	5000-8000
प्राविधिक सहायक भू-भौतिकी	01	5000-8000
वरिष्ठ-मानचित्रकार	03	5000-8000
खान-निरीक्षक	02	5000-8000
वेधक	01	5000-8000
कार्यालय-अधीक्षक	02	4500-7000
सर्वेक्षक	02	4500-7000
वरिष्ठ सहायक/सह-वरिष्ठ डाटासंट्री आपरेटर	03	4000-6000
मानचित्रकार	01	5000-8000
लाइब्रेरियन	04	3200-4900
वेधन सहायक	06	3050-4590
वेधन आपरेटर	04	3050-4590
मैकेनिक	01	3050-4590
वैल्डर हैमर ड्रिलर	03	4000-6000
वरिष्ठ-लिपिक/वरिष्ठ डाटा संट्री आपरेटर	01	4000-6000
सेक्शन-लिपिक/डाटा संट्री आपरेटर	01	4000-6000
रोकड़िया	02	3200-4900
टंकक/सहडाटासंट्री आपरेटर		

क्रमशः 3.....

(23)

आशुलिपिक/ सह-कंसोल आपरेटर	03	4000-6000
सहायक-भण्डारी	01	3200-4900
चालक	03	3050-4590
सेक्शन कटर	01	2610-3540
प्रयोगशाला परिचर	02	2610-3540
चपरासी	04	2610-3540
खनिज आंकिक	01	4000-6000

(ख) प्रखण्ड-स्तर

भू-वैज्ञानिक	06	10000-15200
सहायक भू-वैज्ञानिक	06	8000-13500
खान-अधिकारी	06	8000-13500
सर्वेक्षक	06	4500-7000
वरिष्ठ-लिपिक/डाटा एंट्री आपरेटर	06	4000-6000
टंकक/कम्प्यूटर आपरेटर	06	3200-4900
चालक	06	3050-4590
खनिज मोहर्रिर	16	3050-4590
चेनमैन	06	2550-3200
फील्ड परिचर	06	2550-3200
चपरासी	12	2550-3200
चौकीदार	06	2550-3200

4- ड्रिल हैल्पर, पम्प परिचर, चेनमैन, चौकीदार एवं क्लीनर के पदों को विभागीय संरचना में सम्मिलित नहीं किया गया है, परन्तु इन पदों पर कार्यरत कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्य करते रहेंगे, और ज्यों-ज्यों यह पद खाली होते रहेंगे, यह संवर्ग मृत-घोषित कर दिये जायेंगे।

भवदीय

(एस० कृष्णन्)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 2584/औ०वि०/147-औ/2001 तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।

(24)

2. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून ।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद ।
4. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
6. गार्ड-फाइल ।

Received
8/11/2001

आज्ञा से,

(एस० कृष्णन्)
सचिव ।

शासनादेश संख्या 2439/**VII-I/2011/147**–ख/2001 दिनाक 22 दिसम्बर, 2011 के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गयाः–

संख्याः 2439/VII-1/2011/147–ख/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट बड़ासी,
(कड़ई खाले), देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

विषयः भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2584/औ0वि0/147–ख/2001, दिनांक 03 दिसम्बर, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के संरचनात्मक ढांचे का गठन किया गया था।

2– इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या 160 स्था0/43/वि0ढांचा/भू0खनि0ई0/2005–06, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 जिसके द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के ढांचे में पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया। शासन को प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में राजस्व वृद्धि एवं अवैध खनन की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का शासनादेश संख्या 2584/औ0वि0/147–ख/2001, दिनांक 03 दिसम्बर, 2001 द्वारा गठित संरचनात्मक स्वरूप के अन्तर्गत भूवैज्ञानिक एवं खनिकर्म संवर्ग का ढांचा निम्नानुसार पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

भूवैज्ञानिक शाखा

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान ₹ में	वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त आवश्यक पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	औचित्य
1	2	3	4	5	6	7
1	संयुक्त निदेशक	15600–39100 ग्रेड पे–7600	01	00	01	प्रदेश के भूविज्ञान एवं भूअभियांत्रिक कार्यों के संचालन हेतु।
2	उप निदेशक/ भूवैज्ञानिक	15600–39100 ग्रेड पे–6600	02 (मुख्यालय हेतु) 06 (जनपद हेतु)	–	06 (तैनाती कार्य आवश्यकतानुसार)	भूवैज्ञानिक के 02 पद समाप्त किये जा रहे हैं। कुमायूं/गढ़वाल क्षेत्र के खनिज अन्वेषण एवं भूअभियांत्रिक कार्यों का नियंत्रण तथा संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान को मुख्यालय सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु।
3	सहायक भूवैज्ञानिक	15600–39100 ग्रेड पे–5400	02 (मुख्यालय हेतु) 06 (जनपद हेतु)	04	12	मुख्यालय पर स्थापित प्रयोगशाला में खनिज अन्वेषण कार्यों तथा जनपदों में खनिज अन्वेषण कार्यों हेतु।
4	सहायक भू–भौतिकविद्	15600–39100 ग्रेड पे–5400	01	–	01	खनिज अन्वेषण कार्यों तथा [illegible] कार्यों में मार्गदर्शन।

	प्राविधिक सहायक (भूविज्ञान)	9300–34800 ग्रेड पे–4200	02	–	02	खनिज अन्वेषण तथा मुख्यालय पर स्थित प्रयोगशालाओं हेतु।
6	प्राविधिक सहायक (भू–भौतिकी)	9300–34800 ग्रेड पे–4200	01	–	01	खनिज अन्वेषण कार्यों हेतु।
7	प्राविधिक सहायक फोटो जियोलोजी	9300–34800 ग्रेड पे–4200	01	–	01	मुख्यालय हेतु प्रस्तावित रिमोट सैंसिंग प्रयोगशाला, फोटो इन्टर प्रटेशन कार्य हेतु।
8	वेधक	9300–34800 ग्रेड पे–4200	02	–	02	वेधन कार्यों में एक वेधन मशीन हेतु मशीन का नियंत्रक कार्मिकों के रूप में आवश्यकता।
9	वेधन सहायक	5200–20200 ग्रेड पे–2000	04	–	04	वेधन कार्य के दौरान प्रत्येक वेधक मशीन में वेधक के मार्ग दर्शन के अधीन कार्यों का निस्तारण।
10	वेधन आपरेटर	5200–20200 ग्रेड पे–1900	06	–	06	वेधक के मार्गदर्शन के अधीन ड्रिलिंग सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण।
11	मैकेनिक	5200–20200 ग्रेड पे–1900	04	–	04	वेधन सम्बन्धी उपकरणों की मरम्मत ईत्यादि कार्यों में आवश्यकता।
12	जैक हैमर ड्रिलर	5200–20200 ग्रेड पे–1900	01	–	01	(मृत संवर्ग)
13	सेक्शन कटर	4440–7440 ग्रेड पे–1800	01	–	01	खनिज अन्वेषण के उपरान्त प्राप्त खनिज नमूनों को रासायनिक विश्लेषण हेतु।
		योग	40	04	42	क्रमांक–2 पर उल्लिखित 02 पद समाप्त किये जाने के फलस्वरूप।

खनिकर्म शाखा

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान ₹ में	वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त आवश्यक पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	औचित्य
1	2	3	4	5	6	7
1	संयुक्त निदेशक/ मुख्य खान अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे–7600	–	01	01	एक अतिरिक्त पद प्रदेश के खनिज प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के संचालन में अपर निदेशक के सहयोग हेतु सृजित।
2	उप निदेशक/ ज्येष्ट खान अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे–6600	01	02	03	कुमायू एवं गढ़वाल क्षेत्र के खनिज प्रशासन का कार्य तथा मुख्यालय के कार्यों हेतु दो अतिरिक्त पद सृजित।
3	खान अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे–5400	06 (जनपद हेतु)	–	06	प्रदेश के खनिज बाहुल्य जनपदों में खनन प्रशासन, अवैध खनन के नियंत्रण के कार्यों हेतु।
4	खान निरीक्षक	9300–34800 ग्रेड पे–4200	03 (मुख्यालय हेतु)	09	12	मुख्यालय एवं जनपदों में खनन प्रशासन, अवैध खनन के नियंत्रण के कार्यों हेतु 09 अतिरिक्त पद सृजित।
5	खनिज आंकिक	5200–20200 ग्रेड पे–2400	01	–	01	मुख्यालय स्तर पर खनन सम्बन्धी आंकड़ों के रख–रखाव हेतु।

– 3

1

	खनिज मोहर्रिर/ सर्विलांस असिसटेंट	5200–20200 ग्रेड पे–1900	16 (जनपद हेतु)	08	24	खनिज चैक पोस्टों हेतु आठ अतिरिक्त पद सृजित।
		योग	27	20	47	

(1) अपर निदेशक का 01 (एक) पद वेतनमान ₹ 37400–67000 ग्रेड पे–8700 अब अपर निदेशक, भूवैज्ञानिक एवं खनिकर्म कहलायेगा। उक्त पद पर खनिकर्म शाखा एवं भूवैज्ञानिक शाखा के संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत ऐसे अधिकारी, जिन्होंने निर्धारित अर्हता पूर्ण कर ली हो, वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर चयन किया जायेगा।

(2) प्रदेश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को भी दृष्टिगत रखते हुए खनिकर्म शाखा के सीधी भर्ती के पदों हेतु शैक्षिक अर्हताएं यथासमय संगत सेवा नियमावली में सम्मिलित कर संशोधन का प्रस्ताव यथाशीघ्र निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उप निदेशक/भूवैज्ञानिक के 06 (छः) पद, जो मुख्यालय एवं जनपदों हेतु आपस में स्थानान्तरणीय होंगे।

(4) उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी के 03 (तीन) पद, जिनमें पूर्व में स्वीकृत 01 पद मुख्यालय हेतु 01 पद कुमॉयू मण्डल एवं 01 पद गढ़वाल मण्डल हेतु हैं।

(5) शासन के उपरोक्त पूर्व शासनादेश 2584/औ0वि0/147–ख/2001, दिनांक 03 दिसम्बर, 2001 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–23, लेखाशीर्षक–2853– अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, 001–निदेशन तथा प्रशासन लघु शीर्षक 003 के स्थान पर), 03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 904/XXVII-7/2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

5– नवसृजित किये जाने वाले पद दिनांक 29.02.2012 तक बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जाय तक सृजित किए जाते हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2439 (1)/VII-1/2011/147–ख/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमॉऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व

- विभिन्न खनिज अन्वेषणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।
- विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियंत्रिकीय कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।
- सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।
- खनिज विकास एवं अन्वेषण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।
- खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।
- खनिजों के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव करना/महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।
- खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माइनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का परीक्षण।
- खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों को नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।
- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यों का मूल्यांकन।
- विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन संबंधित वादों को निस्तारित करवाना।
- खनन प्रशासन संबंधी स्टाफ की प्रगति।
- जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें खनन प्रशासन कार्यों की प्रगति से अवगत करवाना।
- खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।
- खनन कार्यों के संबंध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।
- वार्षिक व पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।
- विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।
- विभिन्न शोध एवं विकास संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।